

उत्तरांचल शासन

(वैट-8)

वित्त विभाग

सं० / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006

दिनांक: देहरादून: July 03, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुसूची-II (ख) में क्रमांक 133 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

क्र०स०	माल का वर्णन
1	2
134	प्री-इंजीनीयर्ड इस्पात बिल्डिंग तथा उसके इस्पात संघटक

आज्ञा से

(इन्दु कुमार पांडे)
प्रमुख सचिव वित्त

आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तरांचल देहरादून

सं० 592/ XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित-

1-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250-250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

प्रमुख सचिव वित्त

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 592/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2006 dated July 03, 2006 for general information.

UTTARANCHAL SHASAN
VITTA VIBHAG
NO.592/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006
DATED: DEHRADUN : July 03, 2006


NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act No.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), (as applicable to the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to make with effect from the publication of this Notification in the Gazette the following amendment in Schedule II (B) of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 -

After the existing entry at serial No. 133 in Schedule II(B), the following entry columnwise shall be added, hamely

Sr.No.	Description of Goods
1	2
134	Pre-engineered steel building and steel components thereof.

By Order



(INDU KUMAR PANDE)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE